कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 624 / 14–1 दिनांक:अलीगढ़:अगस्त 29, 2017

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़।

विषयः– **400 के0वी0 डी/सी अलीगढ़–प्रिथला ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 वृक्ष एवं 2 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/04/54/2016/एफ0सी0/81 दिनांक 21.08.2017 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उ0प्र0, लखनऊ का पत्र संख्या 537/अलीगढ़/22272/2016 दिनांक 24.08.2017

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिनके द्वारा भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 24.08.2017 की प्रति अधोहस्ताक्षरी के साथ–साथ आपको भी पृष्ठांकित की गयी है, के कम में भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु आप किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्ताव की मूल प्रतियां तीन दिन के अन्दर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय से प्राप्त कराकर भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव एक सप्ताह में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 624 / 14–1 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रतिलिपि– मैनेजर, गुडगॉव पलवल ट्रासमिशन लि0, ईश्वरनगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।